भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

80AC 280934

पं. निधुआराम शिक्षा समिति

सहमति पत्र

पं० निधुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
उपाध्यक्ष / अध्यक्ष

PRINCIPAL / CHAIRMAN
PT AK SHARMA C... PHARMACY
MATHURA

पं० निधुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
उपाध्यक्ष / अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

80AC 280935

PRADESH

पं० नित्थूराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
प्रबन्धक / सचिव

PRINCIPAL / CHAIRMAN
PT. A.K. SHARMA COLLEGE OF PHARMACY
MATHURA

पं० नित्थूराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
प्रबन्धक / सचिव

स्मृति–पत्र

1–संस्था का नाम– पं० निनुआराम शिक्षा समिति।

2–संस्था का पता– ग्राम व पो० अडूकी जिला–मथुरा।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उ०प्र० होगा।

4–संस्था के उद्देश्य–

1– संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक,साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2– शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल,एवं इण्टर मीडिएट कालेज, डिग्री कालेज, पी०जी० कालेज, आदि की स्थापना व उसका प्रबन्धन करना।

3– निर्धन, अनाथ अपंग अनुसूचित जाति जन जाति/अल्पसंख्यक बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करना, एवं शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना।

4– उच्च शिक्षा विकास हेतु युवक–युवतियों के लिये आधुनिक शिक्षापरक शिक्षण संस्थानों तकनीकी, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि एवं प्रबन्धन शिक्षा संस्थानों, बी.टी.सी, बी.एड. संस्थान की स्थापना कर उन्हे स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना।

5– शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस. ई. /एन.सी.आर.टी./यू०जी०सी०/एन०आई०ओ०एस० शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना।

6– समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों,/स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा प्रौढ़ शिक्षा, बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम, मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।

7– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिंग कला प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन, तथा टंकण, आशुलिपि, संगीत एवं कम्प्यूटर (हार्डवेयर–साफ्टवेयर, इन्टरनेट)नेटवर्किंग, प्रोग्राम डेवलपमेन्ट,इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रॉनिक्स सामान की मरम्मत, वीडियो एवं चलचित्र, सम्पादन, फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइल डिजाइनिंग पच्चेकारी आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

8– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धन, अनाथ, अपाहिज, मंदबुद्धि, वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं के कल्याणार्थ चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर समाज के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना । सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहभागिता तथा पर्यावरण प्रदूषण को बचाये रखने हेतु कार्य करना।

9– संस्था के नाम से व अन्य नामों से कार्यक्षेत्र में जगह–जगह विद्यालय, स्कूल, कालेजों इन्स्टीट्यूशन, प्राईवेट आई०टी०आई० कालेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि की स्थापना करना व उनका विधिवत प्रबन्ध संचालन करना।

10– राज्य/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थायी बोर्डों/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को न प्रदान किया जायेगा और नही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य/भारत सरकार की अनुमति के संचालित किये जायेंगे।

सत्य प्रतिलिपि

पं० निनुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)

पं० निनुआराम शिक्षा
अडूकी (मथुरा)

PT A.K. SHARMA COLLEGE
MATHURA

5– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है–

क्र० सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्रीमती मीरा शर्मा पुत्रीश्री भगवान सिंह	सी–51 नटवरनगर धौली प्याऊ जिला–मथुरा	अध्यक्ष	गृहणी
2–श्रीमती आरती शर्मा पत्नीश्री दीपक शर्मा	267 पुष्पांजली उपवन मथुरा	उपाध्यक्ष	अध्यापन
3–श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्रश्री प० निनुआराम गुधैनिया	सी–51 नटवर नगर धौली प्याऊ मथुरा	प्रबन्धक / सचिव	समाजसेवा
4–श्रीमती शारदा पत्नीश्री रमेश चन्द्र शर्मा	243 माली पाड़ा धौली प्याऊ मथुरा	सदस्य	गृहणी
5–श्री दिनेश पुत्रश्री परसादीलाल	खिरावली पो० परखम जिला–मथुरा	सदस्य	कृषि
6–श्रीमती नीतू सिंह पत्नीश्री मुकेश कुमार सिंह	ए–4 आनन्दपुरी बी०एस०ए०कालेज मथुरा	सदस्य	अध्यापन
7–श्री हरीश्याम पुत्रश्री रमेशचन्द्र	मिर्जापुर बेरी जिला–मथुरा 52-9/1, हरिनगर नगर मथुरा	सदस्य	अध्यापन

6–हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि०–21 सन1860 के अन्तर्गत एक समिति का पंजीयन कराना चाहते हैं।

दिनांक–27–03–2016

सत्य प्रतिलिपि

नीतू सिंह

शारदा

प० निनुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
प्रबन्धक / अध्यक्ष

प० निनुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
प्रबन्धक / अध्यक्ष

PRINCIPAL CHAIRMAN
PT AK SHARMA COLLEGE OF PHARMACY
MATHURA

नियमावली

1-संस्था का नाम- पं० निनुआराम शिक्षा समिति।

2-संस्था का पता- ग्राम व पो० अडूकी जिला-मथुरा ।

3-संस्था का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण उ०प्र० होगा।

4-संस्था के उद्देश्य- स्मृति-पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेंगे ।

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों मे आस्था एव विश्वास रखते होंगे एव निर्धारित सदस्यता शुल्क एव चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य प्रबन्धक/सचिव द्वारा बनाये जायेंगे ।

जो निम्न वर्ग के होंगे-

संरक्षक सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 11000/-रू० सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे ।

आजीवन सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 10000/-रू०सदस्यताशुल्क के रूप मे निस्वार्थ भाव से देंगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगें ।

सामान्य सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को 500/-रू० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप मे दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे ।

विशिष्ट सदस्य- ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एव संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एव उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव मे मत देने एव भाग लेने का अधिकार न होगा ।

6-सदस्यता की समाप्ति-1-सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2-आचरण भ्रष्ट होने एव संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

3-किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4-सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।

5-संस्था की लगातार तीन बैठकों मे बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।

6-किसी सदस्य के विरुद्ध साधारण सभा के 3/4 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।

7-सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी ।

7-संस्था के अंग- (अ) साधारण सभा । (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8-साधारण सभा- (अ) गठन- साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

(ब) बैठकें- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना-अवधि-साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी ।

(द) गणपूर्ति-गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 3/4 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

पं० निनुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
प्रबन्धक / अध्यक्ष

पं० निनुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)

PRINCIPAL CHAIRMAN
PT AK SHARMA COLLEGE OF PHARMACY
MATHURA

(घ) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(ए) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों विनियमों मे संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रुप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति–(अ) गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारणसभा में से बहुमत से 07 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/सचिव एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण सभा के 3/4 बहुमत से कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई या बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष मे दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 3/4 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति मे शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2–नियमों विनियमों मे संशोधन परिवर्तन सभी सदस्यों के बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रुप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों, बैंकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, अचल, चल सम्पत्ति एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एव चैरिटैबिल कार्यों पर व्यय करेगी ।

5–संस्था के विकास हेतु जगह–जगह प्रदेश, मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उपईकाईयो/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना ।

6–संस्था की अचल व चल सम्पत्ति का स्वामित्व प्रबन्धक/सचिव के पास रहेगा तथा प्रबन्धक/सचिव अपनी सहमति से संस्था की अचल–चल सम्पत्तियों को किसी भी निकाय व व्यक्ति को विक्रय, बन्धक अथवा किराये पर दे सकते हैं ।

पं० मिनुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
प्रबन्धक/सचिव

पं० मिनुआराम शिक्षा समिति
अडूकी (मथुरा)
प्रबन्धक/अध्यक्ष

PRINCIPAL CHAIRMAN
PT. A.K. SHARMA COLLEGE OF PHARMACY
MATHURA

संस्था के विकासार्थ संस्था की ओर से ऋण

7–संस्था द्वारा संचालित इन्स्टीट्यूशन/कालेज के विकासार्थ संस्था की सम्पत्तियों को बन्धक/गिरवी रखने एवं प्राप्त करने हेतु संस्था की समस्त अचल चल सम्पत्तियों को बन्धक/गिरवी रखने एवं प्राप्त करने हेतु संस्था की समस्त कार्यवाही करने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव को होगा ।
ऋण हेतु समस्त कार्यवाही करने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव को होगा ।

(ल)कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष – 1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगो की अध्यक्षता करना ।
1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगो की अध्यक्षता करना, किसी
2–मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यो को देना मीटिंग स्थगित करना, किसी
विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
3–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व
संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उनका
सहयोग करना ।

प्रबन्धक/सचिव–1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2–संस्था के कार्यक्रमो की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।
3–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं
अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
4–संस्था के अर्न्तगत संचालित संस्थानों व शिक्षण संस्थानों/कालेजों में कार्यरत
कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निष्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी
सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान जैसे समस्त कार्य
करना ।
5–कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को
स्वीकृति के लिये भेजना, शिक्षण संस्थानों की मान्यता सम्बद्धता आदि के सम्बन्ध में
पत्राचार करना व सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों, शासन आदि से सम्पर्क स्थापित
कर सम्बद्धता प्राप्त करना ।
6–संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों, बन्धक
विलेखों, बिल–वाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।
7–संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व
सदस्यता शुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।
8–आकस्मिक व्यय हेतु 25,000/–रुपया तक अपने पास रखना व व्यय करना ।
9–प्रबन्धसमिति के परामर्श से किसी सुयोग्य व्यक्ति को बिना किसी सदस्यता शुल्क
अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा का
सदस्य बनाना जिसकी संस्तुति अध्यक्ष से अगली मीटिंग में मिलने पर ही संस्था का
सदस्य माना जायेगा ।
10–संस्था के आजीवन व सामान्य सदस्यो द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता व संस्था
विरोधी कार्य करने पर उसे छः वर्ष तक की अवधि के लिये सभा से निलम्बित करना
जिसकी पुष्टि एक माह के अन्दर प्रबन्धसमिति की बैठक में 2/3 बहुमत से कराना ।
11–संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों
की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हो करना ।

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सो0र0जि0अधि0 की
धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 3/4 बहुमत से करना ।

प0 निनुआराम शिक्षा समिति
अड़ूकी (मथुरा)

PRINCIPAL / CHAIRMAN
PT AK SHARMA COLLEGE OF PHARMACY
MATHURA

प0 निनुआराम शिक्षा समिति
अड़ूकी (मथुरा)
प्रबन्धक / अध्यक्ष